



## प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी(मुद्रा) योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत सरकार द्वारा शुरू की गई कोलेट्रल फ्री ऋण की योजना है। यह 10 लाख रुपये तक की राशि के व्यावसायिक ऋण और वर्किंग कैपिटल ऋण 5 साल तक की रीपेमेंट अवधि के साथ प्रदान करती है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की स्थापना के लिए मुद्रा ऋण बैंक लोन को सस्ती ब्याज दरों पर देता है। परियोजना रिपोर्ट में कंपनी के बैकग्राउंड के साथ व्यवसाय से संबंधित सभी जानकारी शामिल है।

**इसका लाभ कौन उठा सकता है;**

- i) व्यक्ति,
- ii) MSME,
- iii) सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स,
- iv) और अन्य व्यावसायिक संस्थाएं इसका लाभ उठा सकती हैं।



## ऋण श्रेणी

मुद्रा ऋण को तीन ऋण योजनाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

शिशु: 50,000 रुपये तक का ऋण

किशोर: 50,000 रुपये-5 लाख रुपये से अधिक के ऋण।

तरुण: 5 लाख रुपय- 10 लाख रुपये से अधिक के ऋण।

**किसी भी बैंक के साथ कोई सुरक्षा/कोलेट्रल जमा करने की आवश्यकता नहीं है।**



## मुद्रा ऋण का आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- पासपोर्ट साइज की तस्वीरों के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के लिए KYC दस्तावेज, जैसे पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, उपयोगिता बिल (पानी या बिजली), PAN कार्ड होना चाहिए।
- यदि आवेदक अनुसूचित जाति / ST / या कोई अन्य विशेष श्रेणी में आता है तो उस आवेदक का जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज भी होने चाहिए।
- व्यवसाय का पता होना चाहिए।
- बिज़नेस इस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट (मौजूदा उद्यमों के लिए) होना चाहिए।
- पिछले 12 महीनों का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए।
- यदि बैंक द्वारा कोई अन्य दस्तावेज मांगा गया है तो वह भी होना चाहिए।